सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 371 राँची, गुरुवार, 11 आषाढ़, 1948 (श०) / 2 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 जून, 2026

संख्या-03/आरोप-11-08/2025-36853 (HRMS)--श्री अभय कुमार द्विवेदी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-71/25), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334, दिनांक 31.01.2025 के माध्यम से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-849, दिनांक 11.12.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री द्विवेदी के विरूद्ध श्री सोनु महतो, BRP-सह-BLO से अभद्र व्यवहार करने, श्री तापस त्रिपाठी, प्रखण्ड समन्वयक (आवास) से गाली-गलौज करने, श्री अनिल कुमार वर्मा, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से धक्का-मुक्की एवं मेरी हेम्ब्रम, नाजीर को बेवजह डांटने संबंधी कुल-04 आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1581, दिनांक 18.03.2025 द्वारा श्री द्विवेदी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री द्विवेदी के आवेदन दिनांक 20.06.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री द्विवेदी द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि अपने पदस्थापन काल में उनके द्वारा सभी कर्मियों से बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने का प्रयास किया गया है। प्रखण्ड के कल्याणकारी योजनाओं को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने एवं इसका लाभ अंतिम व्यक्तियों तक पहुँचे इनका मकसद होता था। उसके निमित इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के प्रति रोष प्रकट किया जाता था। अनुशासन का पालन करते हुए लापरवाह कर्मियों के प्रति कड़ाई से पेश आना पड़ता था, जो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि यह स्वीकार करने में इनको तनिक भी संकोच नहीं है कि सुदूरवर्ती गाँव के गरीब आदिवासी नागरिक के प्रखण्ड में अपने कार्यों के लिए आना ही उनके लिए एक अवसर होता था कि उनका कार्य यथाशीघ्र समाप्त करा सके। इस परिस्थिति में कार्य के प्रति लापरवाही इनको अनुचित लगता था, जिस कारण भी इनके द्वारा रोष (क्षणिक रोष) प्रकट किया जाता था। आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन में लापरवाही का प्रत्यक्ष प्रभाव गरीब सुदूरवर्ती ग्रामीणों पर पड़ता है। साथ ही इनके द्वारा कड़ाई से पेश आने से कर्मियों में नाराजगी होने के उपरांत इन्होंने उनलोगों से बातचीत कर मामले को सामान्य करने का प्रयास भी किये हैं। आरोपकर्ता के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा सामान्य व्यवहार किया गया है।

श्री द्विवेदी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि मामला कार्यालय में कार्य के दौरान हुए व्यवहार से संबंधित है। संबंधित मामले में कोई प्रशासनिक चूक या वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है। जाँच प्रतिवेदन में भी यह पाया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने कार्य में गतिशीलता लाने के लिए कर्मियों को डांटने एवं कड़ाई से पेश आने की बात की है। साथ ही, संबंधित कर्मियों ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की है, परन्तु अंकित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनसे बातचीत कर गलत व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा भविष्य में कार्यालय कर्मियों के साथ व्यवहार और भी गरिमापूर्ण एवं सदाशयतापूर्ण रहेगा, ऐसा भरोसा दिलाया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अभय कुमार द्विवेदी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनको भविष्य में कार्यालय कर्मियों के साथ सुचितापूर्ण व्यवहार करने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अभय कुमार द्विवेदी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ABHAY KUMAR DWIVEDI 110175213377	अतः समीक्षोपरांत, श्री अभय कुमार द्विवेदी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनको भविष्य में कार्यालय कर्मियों के साथ सुचितापूर्ण व्यवहार करने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 371-- 50